उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-88/2020/ 1272/92-2-20-111जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 14 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दि0 10-07-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-131/ 18/2224/92-2-18-111जांच/18 दि0 23-08-2018 द्वारा श्री बी0बी0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता,ग्रा0 अ0वि0,प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्देद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या (फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या के पत्रसं0-3780/ ग्रा0अ0वि0/अनु0कार्य0/सहा0अभि0/18-19 दि0 09-01-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-199/92-2-19-111जांच/16 दि0 26-02-2019 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्रांक-2606 दि0 28-03-2019 द्वारा उपरोक्त संदर्भित शासन के पत्र दि0 26-02-2019 की तामीली रसीद उपलब्ध करायी गयी, परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपचारी अधिकारी श्री बी0बी0 सिंह द्वारा अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति की वसूली के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्रसं0-जी-22/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अनु0कार्य0-873/20-21 दि0 28-05-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री बी0बी0 सिंह के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 3,258.00 राजकोष में जमा हो चुकी है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति के राजकोष में जमा हो जाने एवं अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्ति के कारण उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23-08-2018 द्वारा श्री बी0बी0 सिंह, तत्क0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-88/2020/1272(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री बी0बी0 सिंह, तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-अयोध्या सम्प्रति से0नि0 द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in